सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक, 2098/मंत्री का०
दिनांक, 19-9-2018

माननीय मुख्यमंत्री,

झारखण्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण आज अपराह्न 4 बजे मुझसे मेरे कार्यालय कक्ष में मिले। उन्होंने तार्किक ढंग से स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्य में "वैट" की दर 22 प्रतिशत होने और उससे पहले 1 रूपया का सेस लगाये जाने के कारण, झारखण्ड में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें पड़ोस के राज्यों से काफी अधिक हो गयी हैं। अन्तरराष्ट्रीय कारणों से जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे झारखण्ड में इनकी कीमतों और पड़ोसी राज्यों में इनकी कीमतो के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस कारण से राज्य से गुजरने वाले भारी वाहन या तो उतर प्रदेश में इंधन भरा ले रहे हैं या बंगाल में इंधन भरा ले रहे हैं। इतना ही नहीं खनन एवं अन्य क्षेत्रों की आउटसोंसिंग कम्पनियॉ जो झारखण्ड में कार्यरत है वे भी पड़ोसी राज्यों से अपनी जरूरत का पेट्रोलियम इंधन खरीद कर ला रही हैं जिसका नुकसान पेट्रोलियम डीलरों की आमदनी पर पड़ रहा है और राज्य को मिलने वाले टैक्स में भी इससे कमी हो रही है।

एक अनुमान है कि यदि राज्य सरकार वैट में 4 प्रतिशत की कमी कर देती है तो इसका ठोस परिणाम राज्य में पेट्रोलियम इंधन के मूल्यों पर 2 से 2.50 रूपये प्रतिलीटर के बीच कमी के रूप में होगा। नतीजा होगा कि राज्य से बाहर से आने-जाने वाले वाहन झारखण्ड में पेट्रोल लेने के लिए प्रेरित होंगे और आउटसोंसिंग कम्पनियॉ भी अपनी जरूरत का इंधन झारखण्ड के पेट्रोलियम डीलरों से ही खरीदेंगी। ऐसा होने से राज्य का टैक्स आधार विस्तृत हो जायेगा और तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान समय में जितना टैक्स मिल रहा है उससे अधिक टैक्स राज्य सरकार को इस मद में मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएसन ने इस मामले में तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए मुझे सौंपे गये अपने प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट किया है। प्रतिवेदन की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ संलग्न कर रहा हूँ। इस प्रतिवेदन के विश्लेषणात्मक वस्तुस्थिति को राज्य के बिक्री कर विभाग से सम्पुष्ट कराने के बाद मुझे लगता है कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरों में औसतन चार प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लेने पर विचार करना चाहिये। इसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य की जनता को मिलेगा और माल ढुलाई की कीमतों में कमी होने के कारण अन्य उपयोगी वस्तुऐं भी अपेक्षाकृत सस्ता होंगी।

अनुरोध है कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएसन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और एसोसिएशन एवं बिक्री कर विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर जनहित में ठोस फैसला करेंगे।

(हस्ताक्षर)
सरयू राय
19.9.18